राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06/1/20	948/2017 — आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। संक्षिप्त में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/रेस्पो. संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का मुख्य रूप से इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण की आराजी खाता संख्या 260 ख.न.633 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम पिथ्यावास प.ह.चैनपुरा गि.ह.नरेना तहसील फुलेरा जिला जयपुर में स्थित है एवं विपक्षीगण की आराजी ख.न.651 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम पिथ्यावास में स्थित है अत: ख.न.633 में आने जाने हेतु 30 फिट चौड़े रास्ते की आवश्यकता है जिसे ख.न.651 नरेना से सावरदा डामर रोड की पूर्वी सीमा के सहारे 30 फुट चौड़ा रास्ता जो सलग्न नक्शा प्रार्थना पत्र में ए.बी. से दर्शाया गया है, न्यायहित में दिलवाया जावे। जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के उपस्थित आने व प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के मध्य राजीनामा प्रस्तुत होने पर तथा अप्रार्थी संख्या 3 के अख़बार में नोटिस साया होने के पश्चात अनुपस्थित रहने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजीनामा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपने निर्णय दिनांक 11/06/2016 के द्वारा आदेश प्रदान किया गया कि ख.न.633 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम पिथ्यावास में आवागमन करने हेतु ख.न.651 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम पिथ्यावास की पूर्वी सीमा के सहारे नरेना सावरदा डामर रोड से उत्तर से दक्षिण 20 फुट चौड़ा रास्ता डी.एल.सी. की दुगनी राशि 1,19,558/- रूपये अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने प्राप्त कर लिये है ,अत: अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के हिस्से की आराजी में से गे.मु.रास्ता 20 फुट चौड़ा स्वीकृत किया जाता है। उक्त रास्ते की भूमि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के दर्ज हिस्से में से 8 बिस्वा जमीन कम की जावेगी, अप्रार्थी संख्या 3 का ½ हिस्सा बदस्तूर रहेगा तथा उक्त रास्ता 20 फुट चौड़े का राजस्व अभिलेखों में गे.मु. सिवायचक रास्ता दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार फुलेरा को तहरीर जारी हो। जिससे व्यथित होकर अप्रार्थी संख्या 3/अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। जिस पर रेस्पो. के अनुपस्थित रहने पर अपीलान्ट की इकतरफा में बहस समायत की गई। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 बाबत ख.न. 651 की और हमारा ध्यान आकर्षित करा कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का ½ एवं अप्रार्थी संख्या 3 का हिस्सा ½ अविभाजित राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहा था किन्तु इसके पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने सम्पूर्ण भूमि के सन्दर्भ में रास्ते हेतु अपनी सहमती गलत रूप से प्रार्थीगण से साज कर दी		

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

Scanned by CamScanner

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

कैलाशचन्द्र / नाथीडेवी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जजं	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
948/2017		

जबकी जब तक भूमि का विधिवत विभाजन न हो जाये तब तक अप्रार्थी संख्या 1 व 2 अविभाजित भूमि के सन्दर्भ में अपनी सहमति जाहिर नही कर सकती | अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में आगे निवेदन किया कि अपीलार्थी राजकीय सेवा में होने से गंगानगर के राय सिंह नगर में पदस्थापित था जिसकी जानकारी प्रार्थीगण/रेस्पो. संख्या 1 व 2 को होने के बावजूद भी उनके द्वारा अपीलार्थी के बगरू के पते का अंकन कर अपीलार्थी के बगरू के पते का अंकन कर अपीलार्थी का नोटिस जयपुर सस्करण दैनिक नवज्योति में प्रकाशित करवाया गया जिससे की अपीलार्थी को प्रकरण की जानकारी नही गो सके एवं प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के साथ सांज कर अपीलार्थी को सुनवाई के अधिकार से वंचित कर सके जबकी प्रार्थीगण के लिये यह आवश्यक था कि जब अप्रार्थी संख्या 3 /अपीलार्थी राजकीय सेवा से अन्यत्र पदस्थापित है तो ऐसे मे नोटिस राजस्थान के सस्करण में प्रकाशित करवाया जावे | अत: अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बगैर जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील दिनांक 11/06/2016 पारित किया गया है, वह विधिविरुद्द होने से अपास्त किया जाकर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद शुमार की जाकर स्वीकार फरमाई जावे |

हमने बहस अभिभाषक अपीलार्थी पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया | अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट दिनांक 31/05/2016 जिसमे आराजी ख.न. 651 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा के खातेदार राधा देवी व गायत्री द्वारा अपने हिस्से में से 0.08 बिस्वा भूमि रास्ते हेतु देने की सहमती दर्शाते हुये शेष खातेदार कैलाश चन्द पुत्र नाथूलाल का हिस्सा यथावत रहने का अंकन किया गया है | जिसके आधार पर ही सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपिलाधीन निर्णय दिनांक 11/06/2016 के जरिये रास्ता कायम किये जाने का आदेश प्रदान किया गया है | इस संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है की प्रशनगत भूमि ख.न. 651 जिसमे से प्रार्थीगण/रेस्पो.संख्या 1 व 2 द्वारा अपनी खाते की आराजियात में जाने हेतु रास्ता चाहा गया था | वह सहखातेदारान के मध्य अविभाजित कृषि आराजियात थी ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या 3/अपीलार्थी की सहमती शेष होने के पश्चात होने पर भी मात्र अप्रार्थी संख्या 1 व 2 / रेस्पो.संख्या 3 व 4 की सहमती के आधार पर जो अपिलाधीन आदेश सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है | इसके अतिरिक्त अपीलार्थी की यह आपत्ति की अपीलार्थी राजकीय सेवा में अन्यत्र पदस्थापित होने की जानकारी प्रार्थीगण/रेस्पो. संख्या 1 व 2 एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2/ रेस्पो.

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

Scanned by CamScanner

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
948/2017	केमाराचन्द / नापीडवी

संख्या 3 व 4 को होने के बावजूद भी अपीलार्थी की तामिल अख़बार के राजस्थान सस्करण में नही करवाई जाकर दैनिक नवज्योति के जयपुर सस्करण में करवाई जाने से प्रकरण की जानकारी अपीलार्थी को नही हो पाने से उन्हें सुनवाई का अवसर प्राप्त नही हुआ है , भी उचित प्रतीत होने से अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद शुमार की जाकर स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपिलाधीन निर्णय दिनांक 11/06/2016 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है की वे उनके समक्ष विचाराधीन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर अपीलार्थी को भी समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर विधिसम्वत निर्णय पारित करे। अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 27/01/2020 को अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित हो तत्पश्चात सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय अन्य पक्षकारो को भी जरिये नोटिस तलब कर प्रार्थना पत्र का शीघ्रता से निस्तारण करे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.01.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

Scanned by CamScanner